

न्यायालय:-अमनदीप सिंह छाबड़ा,
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर जिला बालाघाट म.प्र.

आप0 प्रक0 क0 1282/13
संस्थित दिनांक 31.12.2013
फाई.नंबर 234503001242013

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द मलाजखण्ड,
जिला बालाघाट म0प्र0।अभियोजन।

विरुद्ध

कृपाल पिता हीरालाल कोठले जाति सतनामी,
उम्र-32 साल निवासी सीतापुर थाना मलाजखण्ड
जिला बालाघाट (म0प्र0)।अभियुक्त।

-:: निर्णय ::-

-:: आज दिनांक 16/03/2018 को घोषित ::-

1. अभियुक्त पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 309 भा0दं0सं0 का आरोप है कि उसने दिनांक 05.09.13 को शाम के करीब 04:30 बजे स्थान कृपाल कोठले का मकान ग्राम सीतापुर थाना मलाजखण्ड अंतर्गत आत्महत्या करने का प्रयास किया।
2. अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि आरोपी द्वारा घटना दिनांक 05.09.13 के शाम 05:00 बजे कीटनाशक जहर खाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया गया, जिसके उपरान्त बिरसा अस्पताल में उपचार हेतु भर्ती किया गया था। अस्पताल तहरीर जांच हेतु प्राप्त होने पर तथा मृत्यु पूर्व कथन से आरोपी द्वारा गवाहों को झुठा फंसाने का आपराधिक षड़यंत्र कर आत्महत्या का प्रयास किया गया था। विवेचना दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर जमानत मुचलका पर रिहा किया गया। विवेचना पूर्ण होने पर चालान क्रमांक 172/13 तैयार किया जाकर न्यायालय में पेश किया गया।
3. प्रकरण में अभियुक्त ने निर्णय के चरण एक में वर्णित आरोपों को अस्वीकार कर अपने परीक्षण अंतर्गत धारा 313 द.प्र.सं में यह प्रतिरक्षा ली है,

कि वह निर्दोष है तथा उसे झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त द्वारा कोई प्रतिरक्षा साक्ष्य पेश नहीं की गई।

4. प्रकरण के निराकरण हेतु मुख्य विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित हैं:-

1. क्या अभियुक्त ने दिनांक 05.09.13 को शाम के करीब 04:30 बजे स्थान कृपाल कोठले का मकान ग्राम सीतापुर अंतर्गत थाना मलाजखण्ड में आत्महत्या करने का प्रयास किया ?

—: सकारण निष्कर्ष :-

विचारणीय प्रश्न क.01:-

5. साक्षी खोबराम अ.सा.01 का कथन है कि वह न्यायालय में उपस्थित आरोपी कृपालसिंह को पहचानता है। घटना वर्ष 2013 के सितंबर माह की है। नगरपालिका से सी.सी. रोड बनने वाली थी, जिस संबंध में गांव वालों ने अतिक्रमण के संबंध में आवेदन नगरपालिका को दिये थे। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि कृपालसिंह ने जहर खाने की कोशिश किया था, उसका परिवार वालों से वाद-विवाद हुआ था, वाद-विवाद के कारण कृपालसिंह ने आत्महत्या करने का प्रयास किया था। उसने नगरपालिका से अतिक्रमण हटाने एवं कृपालसिंह के जहर खाने बाबद बयान पुलिस थाने में दिया था।

6. साक्षी खोबराम अ.सा.01 ने अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि पुलिस वाले को उसने अपने कथन घटना के एक माह बाद दिया था। ऐसा नहीं कि उसने कथन घटना के चार-पांच माह बाद दिया था। साक्षी ने इन सुझावों को स्वीकार किया है कि यदि उसके कथन घटना के चार-पांच माह बाद लेख किये होंगे तो वह गलत है, कृपाल को उसने जहर खाते नहीं देखा था एवं जहर खाने के संबंध में उसे कोई जानकारी नहीं है।

7. साक्षी हीरालाल अ.सा.02 का कथन है कि वह आरोपी को जानता है, जो उसका पुत्र है। घटना एक साल पुरानी पोला त्यौहार की है। वह घटना

के समय बोदा चराने के लिये गया था। घर पर आकर देखा तो उसके लड़के को ईलाज हेतु अस्पताल में भर्ती करवाये थे। पुलिस को उसने बयान दिया था। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि उसका लड़का जहर खाया था, इसलिये उसे अस्पताल में भर्ती करवाये थे, आरोपी उसका लड़का है, इसलिये सही बात नहीं बता रहा है।

8. साक्षी शास्त्रीलाल अ.सा.03 का कथन है कि वह आरोपी को जानता है। घटना एक साल पुरानी पोला त्यौहार की है। उसे घटना की कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने घटना के संबंध में पूछताछ नहीं किये थे और ना ही उसने बयान दिया था। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि घटना दिनांक को कृपालसिंह ने जहर खाया था, जहर खाने से उसे अस्पताल में भर्ती करवाये थे, आरोपी उसका भतीजा है, इसलिये सही बात नहीं बता रहा है।

9. साक्षी दीनदयाल अ.सा.05 का कथन है कि वह आरोपी को जानता है। वार्ड नंबर 02 सीतापुर में नगरपालिका की दिनांक 12.08.2013 को रोड बन रही थी, उस समय ग्रामवासियों ने सड़क से अतिक्रमण हटाने के लिये नगरपालिका मोहगांव में आवेदन दिया था। आवेदन देने पर नगरपालिका से आरोपी को अतिक्रमण हटाने के लिये नोटिस दिया गया था। आरोपी हरिजन है, इसलिये जातिगत आधार पर फंसाने हेतु रंजिश रखता है।

10. साक्षी दीनदयाल अ.सा.05 से अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इन सुझावों को अस्वीकार किया कि दिनांक 05.09.2013 को कृपाल कोठले को नगरपालिका ने अतिक्रमण हटाने का नोटिस देने पर जहर खाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया था, वह आरोपी से मिल गया है इसलिये न्यायालय में सही बात नहीं बता रहा है।

11. साक्षी खिलेन्द्र टेंभरे अ.सा.04 का कथन है कि वह आरोपी को जानता है। वार्ड नं.02 सीतापुर में नगरपालिका की दिनांक 12.08.2013 को रोड बन रही थी उस समय ग्रामवासियों ने सड़क से अतिक्रमण हटाने के लिये नगरपालिका माहेगांव में आवेदन दिया था। आवेदन देने पर नगरपालिका से आरोपी को अतिक्रमण हटाने के लिये नोटिस दिया था। आरोपी हरिजन है इसलिये जातिगत आधार पर फंसाने हेतु रंजिश रखता है। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि दिनांक 05.09.2013 को कृपाल कोठले को नगरपालिका ने अतिक्रमण हटाने का नोटिस देने पर जहर खाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया था, वह आरोपी से मिल गया है इसलिये न्यायालय में सही बात नहीं बता रहा है।

12. साक्षी रवनसिंह उइके अ.सा.06 का कथन है कि वह दिनांक 05.09.2013 को थाना बिरसा में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को शासकीय चिकित्सालय बिरसा से डा. मेश्राम की अस्पताल से मरणासन कथन हेतु तहरीर मिलने पर कृपालसिंह के मरणासन्न कथन हेतु खण्ड चिकित्सा अधिकारी बिरसा को लिखित आवेदन किया था जो प्र.पी.01 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। ततपश्चात डा. एम.मेश्राम ने उसकी तथा आरक्षक भूपेन्द्र की उपस्थिति में आहत कृपालसिंह के मृत्यु पूर्व कथन लेख किये थे जो प्र.पी.02 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा आहत कृपालसिंह का एम.एल.सी फार्म भरा गया था जो प्र.पी.03 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके बाद उसने प्रकरण अग्रिम कार्यवाही विवेचना हेतु थाना प्रभारी को प्रस्तुत किया था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि वह प्र.पी.01 एवं 03 अपने मन से लेख किया है, कृपाल कोठले ने मृत्यु पूर्व कोई कथन नहीं दिया था, वह आरोपी को झूठा फंसाने के लिए उक्त तहरीर तैयार किया था, उसने चिकित्सा अधिकारी को कोई आवेदन नहीं दिया था।

13. साक्षी डॉ. एम. मेश्राम अ.सा.08 का कथन है कि वह दिनांक 05.09.2013 को सी.एच.सी बिरसा में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को थाना मलाजखंड के आरक्षक भूपेन्द्र कर्मांक 1218 द्वारा आहत कृपाल को मुलाहिजा हेतु उसके समक्ष लाया गया था। जिसका उसके द्वारा परीक्षण किया गया था। परीक्षण पर उसने पाया कि व्यक्ति सामान्य कद काठी का था जो कि अर्द्धचेतना अवस्था में था। चमड़ी ठंडी थी, नाड़ी की गति 66 प्रतिमिनट थी तथा ब्लडप्रेसर 110/70 था, दोनों नासा छिद्रों तथा मुँह से तेज गंध आ रही थी, पेट के मध्य भाग पर कड़ापन तथा सूजन थी, दोनों आंखों में लालीमा थी, हृदय तथा मस्तिष्क सामान्य थे। उसके मतानुसार कृपाल द्वारा कीटनाशक दवा का सेवन करना प्रतीत हो रहा था यद्यपि उसे चिकित्सालय में भर्ती कर उपचार शुरू कर दिया गया था परंतु आगामी चिकित्सा हेतु विशेषज्ञ चिकित्सक जिला बालाघाट के रिफर किया गया था। उसकी रिपोर्ट प्र.पी.04 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

14. साक्षी डॉ. एम. मेश्राम अ.सा.08 के अनुसार उक्त दिनांक को ही उसके द्वारा शाम 7:45 बजे आहत कृपाल का प्रधान आरक्षक रवनसिंह कर्मांक 66 तथा आरक्षक भूपेन्द्र कर्मांक 1218 के समक्ष लिया गया था, जिसमें उसने बताया था कि उसके द्वारा चने में डालने वाली कीटनाशक दवा का सेवन किया गया है तथा उक्त व्यक्ति बयान हेतु पूर्ण रूप से सक्षम था जो बयान प्र.पी.02 है जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि प्र.पी.02 के बयान में बयानकर्ता के हस्ताक्षर नहीं हैं, उसके द्वारा प्र.पी.04 की मुलाहिजा रिपोर्ट में अंतिम अभिमत नहीं दिया गया है उसे विशेषज्ञ चिकित्सक बालाघाट के समक्ष रिफर किया गया है, प्र.पी.02 की कार्यवाही के समय तहसीलदार मौके पर उपस्थित नहीं थे।

15. साक्षी दशाराम अ.सा.07 का कथन है कि वह आरोपी को जानता है। घटना करीब तीन वर्ष पूर्व ग्राम सीतापुर की है। आरोपी ने सड़क किनारे

शासकीय जमीन पर दुकान निर्माण किया है जिससे गांव वालों को असुविधा होती है। घटना के समय गांव वालों ने सी.सी. रोड निर्माण के समय नगर पालिका, एस.डी.एम. तथा अन्य अधिकारियों को आरोपी द्वारा किये गये अतिक्रमण को हटाने हेतु आवेदन दिया था। जिस हेतु आरोपी द्वारा गांव वालों से विवाद किया गया। इसके अलावा उसे घटना के संबंध में जानकारी नहीं है। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। उसे जानकारी नहीं है कि घटना दिनांक 05.09.2013 को आरोपी द्वारा जहर खाकर आत्महत्या का प्रयास किया गया था अथवा नहीं।

16. साक्षी सुरेश अ.सा.09 का कथन है कि वह दिनांक 15.12.2013 को थाना मलाजखंड में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को थाना बिरसा से घटनास्थल थाना मलाजखंड क्षेत्र का होने से आरोपी कृपालसिंह की अस्पताल तहरीर, एम.एल.सी. रिपोर्ट तथा मृत्यु पूर्व कथन प्राप्त हुए थे, जिसके आधार पर अपराध क्रमांक 175/13 अंतर्गत धारा-309 भा.द.वि. आरोपी के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.05 लेखबद्ध की गई जिसके ए से ए तथा बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध करने के पश्चात दिनांक 16.12.2013 को गवाह शास्त्री कोटले, हीरालाल कोटले तथा दिनांक 26.12.2013 को साक्षी खोवाराम राहंगडाले, खिलेन्द्र टेभरे, दीनदयाल राहंगडाले तथा दशाराम राहंगडाले के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किया था। दिनांक 27.12.2013 को आरोपी कृपाल कोटले को गवाह हीरालाल तथा दिनेश बंजारे के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.06 तैयार किया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। संपूर्ण विवेचना उपरांत अंतिम प्रतिवेदन थाना प्रभारी को प्रस्तुत किया जाकर न्यायालय में पेश किया गया था।

17. साक्षी सुरेश अ.सा.09 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि अस्पताल तहरीर एवं एम.एल.सी. रिपोर्ट तथा मृत्यु पूर्व कथन तीनों प्राप्त होने पर आरोपी के विरुद्ध अपराध कायम किया

गया था, प्र.पी.02 के कथन में कथनकर्ता के हस्ताक्षर अंकित नहीं हैं, उसने प्र. पी.02 में कथनकर्ता के हस्ताक्षर नहीं होने के संबंध में संबंधित कथन लेखकर्ता के हस्ताक्षर होने के संबंध में कोई सूचना पत्र नहीं दिया है किन्तु इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि साक्षी खोवारा, खिलेन्द्र, दीनदयाल, दशाराम, शास्त्रीलाल एवं हीरालाल के कथन उसने अपने मन से झूठे लेख किया था, उक्त साक्षीगण का यह कहना है कि आरोपी ने जहर खाया था के कथन झूठे कथन कर रहे हैं। साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसे दिनांक 15.12.2013 को तहरीर प्राप्त होने पर अपराध पंजीबद्ध किया था। उसके द्वारा तहरीर के साथ मुलाहिजा रिपोर्ट प्र.पी.03 का अवलोकन किया गया था।

18. साक्षी सुरेश अ.सा.09 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि उक्त मुलाहिजा रिपोर्ट प्र.पी.03 को अंतिम अभिमत हेतु मेडिकल स्पेशलिस्ट को रिफर किये जाने हेतु लेख है, प्रस्तुत चालान में मेडिकल स्पेशलिस्ट से अंतिम अभिमत से संबंधित कोई दस्तावेज संलग्न नहीं है किन्तु यह अस्वीकार किया है कि उसने आरोपी के विरुद्ध झूठा प्रकरण तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया है।

19. प्रकरण की साक्ष्य के अवलोकन से दर्शित है कि घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है तथा प्रकरण चिकित्सा तथा अन्य साक्ष्य पर आधारित है। चिकित्सक डॉ० मेश्राम अ.सा.08 द्वारा बाह्य परीक्षण पर कीटनाशक दवा के सेवन की संभावना व्यक्त कर आहत को विशेषज्ञ परीक्षण हेतु बालाघाट रिफर करना व्यक्त किया गया है। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि मुलाहिजा रिपोर्ट प्र.पी.04 में उसका अभिमत अंतिम नहीं है। घटना का समर्थन अन्य किसी साक्षी ने नहीं किया है। प्रकरण में अभियुक्त की ऐसी कोई मेडिकल रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं है, जिससे यह दर्शित हो कि वास्तव में उसके द्वारा कीटनाशक विष का ही सेवन किया गया था। प्रथमतः अभियुक्त द्वारा विषपान ही दर्शित नहीं है, जिससे अभियुक्त द्वारा स्वयं का जीवन समाप्त करने के प्रयत्न के संबंध में कोई निष्कर्ष दिया जाना संभव नहीं है। आरोपित अपराध के

संबंध में प्रकरण में साक्ष्य का पूर्णतः अभाव है, जिससे मात्र पुलिस विवेचना के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध कोई प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं दिया जा सकता।

20. फलतः अभियोजन पक्ष संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक 05.09.13 को शाम के करीब 04:30 बजे स्थान कृपाल कोठले का मकान ग्राम सीतापुर अंतर्गत थाना मलाजखण्ड में आत्महत्या करने का प्रयास किया। अतः आरोपी कृपाल कोठले को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-309 के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

21- आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

22- प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति कुछ नहीं।

23- प्रकरण में आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रहा है। इस संबंध में पृथक से धारा-428 द.प्र.सं का प्रमाण पत्र बनाकर प्रकरण में संलग्न किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया।

सही / -
(अमनदीपसिंह छाबड़ा)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर
जिला बालाघाट

सही / -
(अमनदीपसिंह छाबड़ा)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर
जिला बालाघाट